भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2695
2 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के स्टॉफ का प्रशिक्षण

2695. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों को इसकी जिम्मेदारी मिली है और योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सहकारी समितियों और एफपीओ के अधिकारियों के प्रशिक्षण और पदोन्नति हेतु सरकार की कोई भविष्य की योजना है?

ANSWER
सहकारिता मंत्री (SHRI AMIT SHAH)

(क), (ख) और (ग):: जी हां, मान्यवर । '10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन' योजना के तहत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा प्रोत्साहित लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक), गुरूग्राम को सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत और एनसीडीसी द्वारा प्रोत्साहित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल प्रशिक्षण संस्थान निर्दिष्ट किया गया है । इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रोत्साहित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईआरडी) को नाबार्ड द्वारा प्रोत्साहित किए जाने वाले किसान उत्पादक संघों (एफपीओ) और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएएफसी) तथा अन्य अनुमत/निर्दिष्ट कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल प्रशिक्षण संस्थान निर्दिष्ट किया गया है ।

उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) द्वारा देश भर में फैले अपने 5 क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थानों (आरआईसीएम), 14 सहकारी प्रबंधन संस्थानों (आईसीएम) और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वैम्नीकॉम), पुणे के माध्यम से सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संघों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) अपने राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण केन्द्र (एनसीसीई) और सहकारी शिक्षण फील्ड परियोजनाओं के माध्यम से सहकारी समितियों के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन का आयोजन करता है ।

****